न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री सुनील कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	जी0सी0एम0एस0 नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
198 / 2020 / प्रार्थना पत्र	2020 / 00271	15.10.2020	15.10.2025

अनवान

श्री सुरेशचन्द्र पुत्र श्री जगमोहन गुर्जर निवासी तहनाल गेट, शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– प्रार्थी

:: बनाम ::

1–श्रीमती कैलाशदेवी पत्नी श्री सुन्दर लाल गुर्जर निवासी तहनाल गेट, शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
2– चांद पुत्री श्री रतन लाल गुर्जर निवासी तहनाल गेट, शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3– श्री दुर्गालाल पुत्र श्री धुला गुर्जर निवासी तहनाल गेट, शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
4– मंजु पुत्री श्री रतन लाल गुर्जर निवासी तहनाल गेट, शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
5– मानीदेवी पुत्री श्री धुला गुर्जर निवासी तहनाल गेट, शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
6– राजुलाल पुत्र श्री धुला गुर्जर निवासी तहनाल गेट, शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
7– लाडदेवी पुत्री श्री धुला गुर्जर निवासी तहनाल गेट, शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
8– शंकरलाल पुत्र श्री धुला गुर्जर निवासी तहनाल गेट, शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
9– शान्तादेवी पुत्री श्री धुला गुर्जर निवासी तहनाल गेट, शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
10– सुगनी बाई पुत्री श्री धुला गुर्जर निवासी तहनाल गेट, शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
11–सत्यनारायण पुत्र श्री रतनलाल गुर्जर निवासी तहनाल गेट, शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
12–जेनम पत्नी श्री गुलाम रसुल मुसलमान निवासी फुलिया गेट, शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
13 जमील पुत्र श्री शफी खां मुसलमान निवासी फुलिया गेट, शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
14– जाकीर पुत्र श्री अकबर मुसलमान निवासी फुलिया गेट, शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
15–जायदा पुत्र श्री गुलाम रसुल मुसलमान निवासी फुलिया गेट, शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
16– मैना पुत्री श्री गुलाम रसुल मुसलमान निवासी हमालो का मोहल्ला, शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
17– मुराद पुत्र श्री गुलाम रसुल मुसलमान निवासी, हमालो का मोहल्ला, शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
18– राजेश पुत्र श्री जगदीश प्रसाद काबरा निवासी गांधीपुरी, शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
19– शौकत पुत्र श्री गुलाम रसुल मुसलमान निवासी हमालो का मोहल्ला, शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला-भीलवाड़ा(राज.)

20– सलीम पुत्र स्व० श्री गुलाम रसुल मुसलमान निवासी हमालो का मोहल्ला, शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

21– तहसीलदार साहब शाहपुरा तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–अप्रार्थीगण / विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत दिलाये जाने रास्ता

उपस्थिति – श्री विरेन्द्र पत्रिया – अभिभाषक प्रार्थी
विपक्षीगण सं. 01 लगायत 20 एकपक्षीय

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0ए0 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है :– प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 के संयुक्त खाते की कृषि भूमि जिसके खाता सं. 394 आराजी सं. 1520, 1521 रकबा क्रमशः 0.38, 0. 38 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.76 हैक्टर जो कि ग्राम शाहपुरा प०ह० शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित है। जिसमे प्रार्थी सं. 1 का 7\8 एवं विपक्षी सं. 1 का 1\8 हक हिस्सा निहित होकर प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 उपयोग उपभोग में लेते है। प्रार्थना पत्र के साथ जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 एंव नक्शा ट्रेस प्रमाणित साथ में संलग्न है। प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 पैरा सं. एक में वर्णित कृषि आराजीयात के खातेदार काश्तकार है प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 पैरा सं. एक मे वर्णित आराजीयात पर आने जाने के लिए, कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु आराजी सं. 1525, 1526 जो कि गैर मु० रास्ते मे दर्ज है उसका उपयोग करते हुऐ विपक्षी स. 2 लगायत 11 के आराजी नं. 1524 की दक्षिणी मेड एवं विपक्षी सं. 12 लगायत 20 के आराजी सं. 1523 की उत्तरी मेड से होते हुऐ आगे की और बढते एंव पैरा सं. 1 मे वर्णित कृषि आराजी में प्रवेश करते है एंव अपनी उक्त आराजी का उपयोग उपभोग किया करते है। प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैक्लिपिक रास्ता नही है। विपक्षीगण सं. 2 लगायत 20 की आराजी पर जबरन कब्जा कर प्रार्थीगण के साथ आये दिन रास्ता सम्बधित विवाद करते है प्रार्थी को आते जाते समय, कृषि उपकरण लाते ले जाते समय गाली गालौज एवं लडाई झगडा करते रहते है। प्रार्थी अपनी स्वंय की पैरा सं. 1 में वर्णित आराजी पर आने जाने एवं फसल काश्त करने के लिए बैलगाड़ी ट्रैक्टर, हल, कृषि उपकरण उक्त साधन ले जाने के लिए 20 फीट चौडा रास्ता जो कि नक्शे की प्रतिलिपी में प्रस्ताविक नक्शे का लाल स्याही से दर्शाया गया है। इस प्रकार प्रार्थी जमीन को काश्त करने के लिए रास्ता को रिर्काड में अंकित करवाना चाहते है जिससे भविष्य मे उभयपक्षकारो के मध्य को कोई विवाद पैदा नहीं हो सके प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता नही है। यह है कि प्रार्थीग की पैरा सं. 1 में वर्णित कृषि आराजी में आने जाने हेतु एवं फसल काश्त करने के लिए उक्त रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थी ने दिनांक 10.09.2020 विपक्षीगणो कों रास्ता दर्ज कराने हेतु निवेदन किया परन्तु विपक्षीगण तैयार नही हुऐ इसलिए भी उक्त प्रार्थना पत्र रास्ता लेने हेतु एंव राजस्व रिर्काड में दर्ज करने हेंतु प्रस्तुत किया जा रहा है। रास्ता राजस्व रिकार्ड नक्शे मे दर्ज नही है उक्त रास्ता बाबत मौके से रिर्पोट तलब फरमायी जाकर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है यह की प्रार्थी ने खातेदारो ने आपसी सहमति से रास्ता लेने का प्रयास किया परन्तु सफल नही होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई प्रार्थी को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। ताईद मे शपथ पत्र पेश है। उक्त आराजी ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा राजस्थान मे स्थित होने से प्रार्थना पत्र श्रीमान के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार मे होने से एंव उचित न्याय शुल्क पर न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेंश है। विपक्षी सं 21 लेण्ड हौल्डर होने से विपक्षीगण बनाया गया है एव खातेदार फिरोज पिता गुलाम रसुल की मृत्यु हो चूकी है उसके विधिक वारिसान विपक्षी के रूप मे संयोजित है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रार्थी एंव विपक्षी सं. 1 के पक्ष मे व विपक्षीगण सं. 2 लगायत 20 के विरूद्ध स्वीकार फरमाते हुऐ पैरा सं. 1 में वर्णित आराजी सं. 1520, 1521 पर पहुंचने हेतु विपक्षी सं. 2 लगायत 11 के आराजी नं. 1524 की दक्षिणी मेड एवं विपक्षी सं. 12 लगायत 20 के आराजी सं. 1523 की उत्तरी मेड से प्रार्थी अपनी आराजी में जाने हेंतु नया 20 फीट चौडा रास्ता दिलाये जाने का आदेश प्रदान कर उक्त

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला-भीलवाड़ा(राज.)

रास्ते को डी.एल.सी. दर की दुगनी राशि जमा कराने का आदेश कर रास्ते का इन्द्राज करते हुऐ नक्शे में भी स्थायी रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। नियत पेशी दिनांक 7.12.2020 को विपक्षीगण सं0 1, 5, 9 व 13 के सम्मन अदम तामिल लौटे, शेष समस्त विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल लौटे किन्तु बावजूद सम्मन तामिल को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षीगण सं0 1, 5, 9 व 13 पुनः तलबी हेतु आदेश दिनांक 02.03.2021 को दिया गया। दिनांक 02.03.2021 को प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 व धारा 151 जा.दी. के प्रस्तुत किया। प्रकरण प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के नियत किया गया। दिनांक 16.03.2021 को विपक्षीगण सं0 2 लगायत 4, 6 लगायत 8, 10 लगायत 12, 14 लगायत 20 बावजदू सम्मन बाद तामिल के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। विपक्षीगण सं. 1, 5, 9 व 13 की तलबी की गयी। दिनांक 12.04.2021 को विपक्षी सं. 05 का सम्मन बाद तामिल लौटा किन्तु उपस्थित नहीं हुआ, जिसके विरूद्ध दिनांक 13.07.2021 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। विपक्षी सं. 13 का सम्मन अदम तामिल लौटा। बाद तामिल लौटे। दिनांक 13.07.2021 को तहसीलदार के पत्र क्रमांक 355 दिनांक 29.06.2021 से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। दिनांक 11.08.2021 को विपक्षीगण सं. 1, 9 की तलबी जरिए रजिस्टर्ड ए0डी0 द्वारा की गयी। दिनांक 10.09.2021 को विपक्षीगण सं. 1, 9 को जरिए डाक नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। दिनांक 27.09.2022 को विपक्षी सं. 13 की तलबी जरिए सम्मन अखबार में साया कराने हेतु निवेदन किया। जो स्वीकार किया जाकर विपक्षी सं. 13 की तामिल जरिए सम्मन अखबार में साया कराये जाने के आदेश दिये गये। दिनांक 22.11.2022 को अभिभाषक प्रार्थी द्वारा विपक्षी सं. 13 का सम्मन अखबार दैनिक नवज्योति में करा अखबार की प्रति प्रस्तुत की। बावजूद सम्मन अखबार में साया के विपक्षी सं. 13 न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध दिनांक 10.10.2023 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। प्रकरण अंतिम बहस के नियत किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त नवीन रास्ता कायम बाबत मौका रिपोर्ट से अवगत कराया कि वांछित एवं प्रस्तावित रास्ता सबसे निकटतम दूरी पर स्थित है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। एवं रास्ता दिया जाना नितान्त आवश्यक है।

उभयपक्षों को नियुक्त विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्कों से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/जवाब को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है किः–

रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता :– प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी पर पहुंच हेतु कोई स्थाई मार्ग मौके पर मौजूद नहीं है। प्रार्थी द्वारा वांछित एवं प्रस्तावित रास्ता सबसे निकटतम दूरी पर स्थित है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। एवं रास्ता दिया जाना नितान्त आवश्यक है।

उपरोक्त विवचेन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी 3084 पर पहुंच हेतु वैकल्पिक रास्ता के अभाव है एवं प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है। एवं प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता ही निर्बाध अवागमन के लिए निकटतम/सुगमतम रास्ता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

अतः ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र शाहपुरा स्थित विपक्षीगण संख्या 02 लगायत 11 की खातेदारी की आराजी संख्या 1524 रकबा 0.2700 है0 में से 0.0192 है0(209.92 फीट गुणा 9.84 फीट/2065.61 वर्गफीट) भूमि एवं विपक्षीगण संख्या 12 लगायत 17, 19, 20 की खातेदारी की आराजी संख्या 1523 रकबा 0.2900 है0 में से 0.0192 है0(209.92 फीट गुणा 9.84 फीट/2065.61 वर्गफीट) भूमि नवीन रास्ता कायमी का यह प्रकरण न्यायालय न्यायोचित मानता है।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थीगण विरूद्ध विपक्षीगण भू0अ0निरीक्षक शाहपुरा से प्राप्त रास्ता प्रस्ताव अनुसार इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र शाहपुरा स्थित विपक्षीगण संख्या 02 लगायत 11 की खातेदारी की आराजी संख्या 1524 रकबा 0.2700 है0 में से 0.0192 है0(209.92 फीट गुणा 9.84 फीट/2065.61 वर्गफीट) भूमि एवं विपक्षीगण संख्या 12 लगायत 17, 19, 20 की खातेदारी की आराजी संख्या 1523 रकबा 0.2900 है0 में से 0.0192 है0(209.92 फीट गुणा 9.84 फीट/2065.61 वर्गफीट) भूमि की वर्तमान में तहसील शाहपुरा में प्रचलित डी.एल.सी. दर अनुसार मालियत की 2 गुना राशि संबंधित अप्रार्थीगण के पक्ष में अदायगी/भुगतान किये जाने के उपरान्त नवीन रास्ता हेतु वांछित भूमि 0.0192 है0 को आराजी नम्बर 1524 रकबा 0.2700 हैक्टेयर में से एवं 0.0192 है0 को आराजी नम्बर 1523 रकबा 0.2900 है0 में से 0.0192 है0 कम करते हुए मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा के राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शे में तरमीम के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 15.10.2025 सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा

प्रतिलिपि—

तहसीलदार शाहपुरा पास भेजकर लेख है कि संबंधित विपक्षीगण खातेदारान को रास्ता हेतु उपयोग में आने वाली भूमि की राशि की गणना कर संबंधित खातेदार काश्तकारान को भुगतान किये जाने के उपरान्त आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर नक्शे में तरमीम किया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा